अनुलग्नक क. 1.6

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 16/01/2007

क्रमांक एफ 1–6/2003/वित्त (सम.)/चार (2) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 286/ब–4/चार/2003, दिनांक 22/08/2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

// संशोधन //

उक्त अधिसूचना में,

कण्डिका 4 में शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 2006" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 2007" प्रतिस्थापित किये जायें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 16/01/2007

क्रमांक एफ 1–6/2003/वित्त (सम.)/चार – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–6/2003/वित्त (सम.)/चार (2), दिनांक 16/01/2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव